संख्या-48/2025/232 के-2/22-3-2024-17(504)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवंसुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 मार्च, 2025

विषय:- जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी महताब उर्फ बचनू पुत्र श्री मुनौवर खॉ, निवासी जनपद-गाजीपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0)कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-16469/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.04.2024) दिनांक-10.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी महताब उर्फ बचनू पुत्र श्री मुनौवर खॉ, जो ग्राम-तेलपुरवा, थाना-कोतवाली, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। जबरदस्ती गलत सम्बन्ध बनाने का विरोध किये जाने को लेकर हुई कहासुनी के विवाद में दिनांक 01/02.10.2009 की रात्रि को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पेट्रोल डाल कर माचिस से आग लगाकर कु0 पूजा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-145/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 326, 509 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, गाजीपुर के आदेश दिनांक 18.07.2011 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.11.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष 01 माह 18 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष 09 माह 12 दिन की सजा पूरी की गयी है तथा बन्दी की आयु लगभग 32 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करनेका अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जबरदस्ती गलत सम्बन्ध बनाने का विरोध किये जाने को लेकर हुई कहासुनी के विवाद में दिनांक 01/02.10.2009 की रात्रि को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पेट्रोल डाल कर माचिस से आग लगाकर कु0 पूजा की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी महताब उर्फ बचनू पुत्र श्री मुनौवर खॉ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी महताब उर्फ बचनू (बंदी संख्या-283/2023) पुत्र श्री मुनौवर खॉ, निवासी जनपद-गाजीपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-48/2025/232 के-2(1)/22-3-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-48/2025/232 के-2/22-3-2024-17(504)/2024

दिनांक 06 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी महताब उर्फ बचनू पुत्र श्री मुनौवर खॉ, जो ग्राम-तेलपुरवा, थाना-कोतवाली, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। जबरदस्ती गलत सम्बन्ध बनाने का विरोध किये जाने को लेकर हुई कहासुनी के विवाद में दिनांक 01/02.10.2009 की रात्रि को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पेट्रोल डाल कर माचिस से आग लगाकर कु0 पूजा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-145/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 326, 509 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, गाजीपुर के आदेश दिनांक 18.07.2011 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.11.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष 01 माह 18 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष 09 माह 12 दिन की सजा पूरी कर ली गयी है तथा बन्दी की आयु लगभग 32 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करनेका अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जबरदस्ती गलत सम्बन्ध बनाने का विरोध किये जाने को लेकर हुई कहासुनी के विवाद में दिनांक 01/02.10.2009 की रात्रि को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पेट्रोल डाल कर माचिस से आग लगाकर कु0 पूजा की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिसअधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी महताब उर्फ बचनू पुत्र श्री मुनौवर खॉ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in